निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक C-1275/बा0वि0परि0/पो0एवं0स्वा0/2020–21, दिनांक : 15 मार्च, 2021

समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी,
उत्तर प्रदेश।

विषयः अनुपूरक पुष्टाहार योजना (एस0एन0पी0) के अन्तर्गत माह जनवरी, 2021 एवं माह मार्च, 2021 हेतु टी0एच0आर0 के वितरण के सम्बन्ध में।

भारत सरकार के पत्र संख्या–सीडी–III–17–1/2020–सीडी.III(ई–82532), दिनांक 02 मार्च, 2021 द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–2021 के चतुर्थ त्रैमास हेतु अनुपूरक पुष्टाहार योजना के लिए उत्तर प्रदेश राज्य को डब्लू0बी0एन0पी0 के अन्तर्गत 46301.30 एम0टी0 गेहूं एवं 10619.30 एम0टी0 चावल का आवंटन प्राप्त हुआ है जिसके क्रम में निदेशालय के पत्र संख्या सी–219, दिनांक 10 मार्च, 2021 द्वारा 25986.99 एम0टी0 गेहूं एवं 10619.30 एम0टी0 चावल तथा निदेशालय के पत्र संख्या सी–220, दिनांक 10 मार्च, 2021 द्वारा 20175.84 एम0टी0 गेहूँ का आवंटन भारतीय खाद्य निगम, लखनऊ को निर्गत किया जा चुका है, जिसकी जनपदवार विस्तृत विवरण/सूचना आपको ई–मेल के माध्यम से दिनांक 12.03.2021 को प्रेषित की जा चुकी है। भारत सरकार से 11 से 14 वर्ष आयु की स्कूल न जाने वाली किशोरी के लिए योजना–(एस0ए0जी0) के लिए अभी खाद्यान्न आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है। अतः इनके सम्बन्ध में पृथक से निर्देश निर्गत किये जायेगें।

चतुर्थ त्रैमास के माह जनवरी एवं माह मार्च, 2021 हेतु अनुपूरक पुष्टाहार योजना के अन्तर्गत टी0एच0आर0 वितरण के सम्बन्ध में निम्नवत् निर्देश निर्गत किये जाते है :–

1– **माह जनवरी, 2021**

(क) माह जनवरी, 2021 में चतुर्थ त्रैमास हेतु निदेशालय पत्र संख्या–219, दिनांक 10 मार्च, 2021 द्वारा आवंटित 25986.99 एम0टी0 गेहूं एवं 10619.30 एम0टी0 चावल जनपद में निर्धारित आवंटन के अनुसार लाभार्थियों का सत्यापन कर वास्तविक लाभार्थियों को वितरित किया जायेगा।

(ख) माह जनवरी, 2021 हेतु लाभार्थीवार वितरण किये जाने वाले टी0एच0आर0 की मात्रा निम्नवत् होगी :–

Category of Beneficiary	Take Home Ration			
	Wheat	Rice	Chana Daal	Fortified Edible Oil
Children 06m to 03y	1.5 kg.	1.0 kg.	1.0 kg.	0.455 kg.
Children 03y to 06y	1.5 kg.	1.0 kg.	500 gm.	0.000
PW & LW	2.0 kg.	1.0 kg.	1.0 kg.	0.455 kg.
06m to 06y Severely Malnourished Children	2.5 kg.	1.5 kg.	2.0 kg.	0.455 kg.

(ग) चना दाल एवं फोर्टिफाइड खाद्य तेल की आपूर्ति नेफेड द्वारा की जायेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में चना दाल एवं फोर्टिफाइड खाद्य तेल की आपूर्ति परियोजना कार्यालय तक व शहरी क्षेत्रों में चना दाल एवं फोर्टिफाइड खाद्य तेल की आपूर्ति नेफेड द्वारा **निर्धारित पैकेजिंग में** आंगनबाड़ी केन्द्र तक की जायेगी।

(घ) ग्रामीण क्षेत्र की परियोजनाओं में निदेशालय पत्र संख्या सी–604, दिनांक 20 अक्टूबर, 2020 को निर्गत एस0ओ0पी0 के अनुसार गेहूं एवं चावल मैप्ड कोटेदार

Scanned with CamScanner

से एवं चना दाल तथा एवं फोर्टिफाइड खाद्य तेल परियोजना कार्यालय से राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूहों द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा निर्धारित मानक के अनुसार पैकेजिंग करते हुए आंगनबाड़ी केन्द्रों में उपलब्ध कराया जायेगा तथा वितरण में आंगनबाड़ी कार्यकत्री का सहयोग किया जायेगा।

(ड.) चना दाल एवं फोर्टिफाइड खाद्य तेल से सम्बन्धित आपूर्ति निर्देश (डी0आई0) संलग्न (ई–मेल से) है।

2– <u>माह मार्च, 2021</u>

(क) माह मार्च, 2021 में निदेशालय पत्र संख्या–220, दिनांक 10 मार्च, 2021 द्वारा आवंटित 20175.84 एम0टी0 गेहूं जनपद में निर्धारित आवंटन के अनुसार लाभार्थियों का सत्यापन कर वास्तविक लाभार्थियों को निर्धारित मात्रा में वितरित किया जायेगा।

(ख) माह मार्च, 2021 हेतु लाभार्थीवार वितरण किये जाने वाले टी0एच0आर0 की मात्रा निम्न् सारिणी के अनुसार होगी :–

Category of Beneficiary	Take Home Ration		
	Wheat	Chana Daal	Fortified Edible Oil
Children 06m to 03y	1.5 kg.	1.0 kg.	0.455 kg.
Children 03y to 06y	1.5 kg.	500 gm.	0.000
PW & LW	2.0 kg.	1.0 kg.	0.455 kg.
06m to 06y Severely Malnourished Children	2.5 kg.	2.0 kg.	0.455 kg.

(ग) चना दाल एवं फोर्टिफाइड खाद्य तेल की आपूर्ति नेफेड द्वारा की जायेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में दाल एवं फोर्टिफाइड खाद्य तेल की आपूर्ति परियोजना कार्यालय तक व शहरी क्षेत्रों में चना दाल एवं फोर्टिफाइड खाद्य तेल की आपूर्ति नेफेड द्वारा **निर्धारित पैकेजिंग में** आंगनबाड़ी केन्द्र तक की जायेगी।

(घ) ग्रामीण क्षेत्र की परियोजनाओं में निदेशालय पत्र संख्या सी–604, दिनांक 20 अक्टूबर, 2020 को निर्गत एस0ओ0पी0 के अनुसार गेहूं मैप्ड कोटेदार से एवं चना दाल एवं फोर्टिफाइड खाद्य तेल परियोजना कार्यालय से राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूहों द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा निर्धारित मानक के अनुसार पैकेजिंग करते हुए आंगनबाड़ी केन्द्रों में उपलब्ध कराया जायेगा तथा वितरण में आंगनबाड़ी कार्यकत्री का सहयोग किया जायेगा।

(ड.) चना दाल एवं फोर्टिफाइड खाद्य तेल से सम्बन्धित आपूर्ति निर्देश (डी0आई0) संलग्न (ई–मेल से) है।

वितरण से पूर्व लाभार्थियों का सत्यापन सुनिश्चित कर लिया जाय तथा सभी लाभार्थियों के सत्यापन के उपरान्त ही वास्तविक लाभार्थियों को वितरण सुनिश्चित किया जाये।

पूर्व माहों का खाद्यान्न यदि अवशेष रह गया है, तो उसका समयोजन करते हुए वितरण किया जाये।

उक्त दोनों माहों की आपूर्तित मात्रा का वितरण दिनांक 20 अक्टूबर, 2020 को निर्गत एस0ओ0पी0 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आंगनबाड़ी केन्द्र/निर्धारित स्थल पर वितरण दिनांक 05.04.2021 को एवं शेष रह गये लाभार्थियों को वितरण 06.04.2021

Scanned with CamScanner

को किया जायेगा। वितरण पोषण उत्सव के रूप में किया जायेगा जिसके लिए पृथक से दिशा–निर्देश निर्गत किये जायेगें।

प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्रवार वितरण की सूचना DIA Portal/Poshan Tracker पर अवश्य फीड की जाये।

एस0ओ0पी0 के अन्तर्गत विभिन्न स्तरों पर गठित समिति यथा–ग्राम निगरानी समिति, ब्लाक निगरानी समिति तथा जिला निगरानी समिति द्वारा टी0एच0आर0 की आपूर्ति, वितरण की सघन निगरानी एवं प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाये।

वितरण हेतु इस कार्यालय द्वारा निर्गत आधार नोटिफिकेशन सम्बन्धी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

जनपद उन्नाव एवं फतेहपुर में रेसिपी बेस्ड टी0एच0आर0 उत्पादन इकाई की स्थापना एस0एच0जी0 माइक्रोइन्टरप्राइज द्वारा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के सहयोग से की जा चुकी है। अतः उक्त माहों में जनपद उन्नाव की परियोजना बीघापरु एवं सिकन्दरपुर करन तथा जनपद फतेहपुर की परियोजना मलवां में रेसिपी बेस्ट टी0एच0आर0 का वितरण एस0एच0जी0 माइक्रोइन्टरप्राइज द्वारा किया जायेगा।

उपरोक्त निर्देशों को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नकः यथोपरि।

(डॉ0 सारिका मोहन)
निदेशक

पृष्ठांकन /तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर मुख्य सचिव, बाल विकास एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश शासन।
2 प्रमुख सचिव, बाल विकास एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश शासन।
3. मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि एस0ओ0पी0 की व्यवस्था के अनुसार स्वयं सहायता समूह के माध्यम से खाद्यान्न का उठान, आंगनबाड़ी केन्द्रों को उपलब्ध कराने एवं वितरण में सहयोग हेतु अपरे स्तर से संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. शाखा प्रबन्धक, नैफेड, सीतापुर रोड, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आवंटित मात्रा के अनुसार चना दाल एवं खाद्य तेल की आपूर्ति दिनांक 31.03.2021 तक सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(डॉ0 सारिका मोहन)
निदेशक

Scanned with CamScanner